क्रम-संख्या—187

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 अगस्त, 2005

श्रावण 14, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 984 / सात–वि-1-1(क)19 / 2005

लखनऊ, 05 अगस्त, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 04 अगस्त, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2005)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह 8 जून, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ज-1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ज-2) 'निर्यात' का तात्पर्य किसी लाइसेंसधारी द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का भारत से बाहर निर्यात करने से है;"

(ख) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ण-1) 'प्रसंस्करण' का तात्पर्य चूर्णन, पेराई, छिलका निकालने, भूसी निकालने, अर्धक्वथन करने, पालिश करने, ओटाई संपीड़न, संरक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक शोधनों की श्रृंखला या किसी अन्य हस्तचालित, यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक शोधन से है जिससे कच्चे कृषि उत्पाद या उसके उत्पादन का शोधन किया जाता है परन्तु उसका तात्पर्य मात्र सफाई करना धुलाई करना, श्रेणीकरण करना, एवं पैकिंग करना और तत्समान अन्य क्रियाकलाप से नहीं है।"

धारा 17-क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 17-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,–

(क) जहां राज्य सरकार की राय हो कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ वह आवेदन करने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय मण्डी शुल्क (विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है या उसकी दर में कमी कर सकती है जिन्हें ऐसी नवस्थापित इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हों कि उनके संयंत्र और मशीनरी की लागत दस करोड़ रुपये से कम नहीं है।

(ख) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहां वह, आवेदन किये जाने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय मण्डी शुल्क और विकास सेस से छूट प्रदान कर सकती है जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किया जाय।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2005

निरसन और अपवाद

4–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने और विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में संशोधन करके राज्य सरकार को सशक्त किया जाय कि वह, –

(क) अधिसूचना द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर मण्डी शुल्क (विकास सेस को छोड़कर) से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट प्रदान कर सके या उसकी दर में कमी कर सके जिन्हें किसी नवस्थापित इकाई द्वारा उपयोग किया जा सकता है, जो इस शर्त को पूरा करती हो कि उसके संयंत्र और मशीनरी की लागत दस करोड़ रुपये से कम नहीं है।

(ख) अधिसूचना द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर मण्डी शुल्क और विकास सेस से विनिर्दिष्ट अवधि के लिये छूट प्रदान कर सके जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 जून, 2005 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2005) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 984/VII-V-1-1(Ka) 19/2005

Dated Lucknow August, 05, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 4, 2005:—

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

(U.P. Act no. 17 of 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 8, 2005.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 25 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) after clause (h-1) the following clause shall be *inserted*, namely :–

"(h-2) 'Export' means export of specified agricultural produce outside India by a licensee."

(b) after clause (o) the following clause shall be *inserted*, namely :–

"(o-1) 'Processing' means any one or more of a series of treatments relating to powdering, crushing, decorticating, dehusking, parboiling, polishing, ginning, pressing, curing or any other manual, mechanical, chemical or physical treatment to which raw agricultural produce or its product is subjected to, but shall not mean mere cleaning, washing, grading and packaging and other like activities."

Amendment of section 17-A

3. In section 17-A of the principal Act *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substitued*, namely :–

"(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act ,–

(a) Where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do to encourage the establishment of Agro Processing Units in the State and to promote the marketing of the specified agricultural produce to be used as raw material by the said units, it may on an application or otherwise, by notification, exempt from, or reduce the rate of mandi fee (excluding development cess) on such specified agricultural produce or produces as may be used by such newly established units as fulfil the condition that the cost of plant and machinery shall not be less than ten crore rupees, for such period as may be specified in the notification not exceeding five years subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification.

(b) Where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do to encourage the export of specified agricultural produce, it may on an application of otherwise, by notification, exempt from mandi fee and development cess, on such specified agricultural produce or produces as may be exported in the prescribed manner by a licensee and for such period as may be specified in the notification, not exceeding five years subject to such conditions and restriction as may be specified in the notification."

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2005 is hereby repealed U.P. Ordinance no 7 of 2005

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging the establishment of Agro Processing Units in the State, to promote marketing of the specified agricultural produce to be used as raw material by the said units and to encourage the export of specified agricultural produce, it was decided to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 to empower the State Government,–

(a) to exempt by notification, from or reduce the rate of, mandi fee (excluding development cess) on such specified agricultural produce or produces as may be used by a newly established unit which fulfil the conditions that the cost of plant and machinery shall not be less than ten crore rupees, for a specified period,

(b) to exempt by notification, from mandi fee and development cess, on such specified agricultural produce or produces as may be exported in the prescribed manner by a licensee, for a specified period.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2005 (U.P. Ordinance no. 7 of 2005) was promulgated by the Governor on June 8, 2005.

This Bill is introduced to replace the aforesaid ordinance.

By order,

D.V. SHARMA

Pramukh Sachiv.